

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर**  
क्रमांक:ई-33 / फिजियोथेरेपिस्ट / एम 126 / 2019 / दिनांक:

**आदेश**

श्री अब्दुल वहीद खान, फिजियोथेरेपिस्ट, झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी झालावाड़ जिनकी जन्म दिनांक 22.3.1960 है। श्री अब्दुल वहीद खान को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.3.2020 से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

कर्मचारी के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


//  
( मुकुल शर्मा )  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज जयपुर

क्रमांक:ई-33 / फिजियोथेरेपिस्ट / एम 126 / 2019 / 216

दिनांक. 5. 7. 19

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय, कोटा।
3. अधीक्षक, झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी झालावाड़।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय वास्ते अपलोड।
5. श्री अब्दुल वहीद खान, फिजियोथेरेपिस्ट को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश / निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई दसूली दकाया हो तो उसकी दसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावें।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर